श्री ओंकार लाल बेरवा : मैं जानना चाहता हूं कि अबतक इसकी जांच न करने का क्या कारण है और समिति ने इतनी देर लगाई, इसको टाला जाता रहा, उसका क्या मतलब है?

श्री भागवत झा आजाद : अध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई बात नहीं है कि जांच क्यों नहीं की गई, एक बार सन् 64 में डा०सी०डी० देशमुख के सभापतित्व में जांच कमेटी बिठाई गई थी जिसने अपना फैसला दिया कि इन चार्जेज में कोई तथ्य नहीं हैं। उसके बाद और भी बहुत सी ऐसी शिकायतें आई लेकिन वे बिना दस्तखतों के और बिना नाम के आईं और जो नाम के साथ आईं, उनका जब पता लगाया गया तो उनका कोई पता चल नहीं सका। अब एक संसद सदस्य ने जब शिकायत की तो गवर्निंग बाडी ने एक कमेटी बिठाई है और वह तत्परता से कार्य कर रही है।

श्री ओंकार लाल बेरवा : मैं जानना चाहता हूं कि वे कौन कौन से आरोप हैं जोकि बिना दस्तखत के हैं और वे कौन कौन से आरोप हैं जिनपर दस्तखत होकर आये है ?

श्री भागवत झा आजाद : वह तो बहुत लम्बी सूची होगी इसलिए कहना मुश्किल होगा।

श्री ओंकार लाल बेरवा : दो चार ही बताइये।

श्री भागवत झा आजाद : वे चार्जेज कोई ऐसे नहीं हैं जोकि गुप्त हों। चौरड़िया साहब ने जो राज्य सभा में लिखकर दिया है, अगर आज्ञा हो तो मैं यहां इस सदन में भी रख दूं। उसमें कोई छिपाने की बात नहीं है।..(व्यवधान)..

MR. SPEAKER : You can place it on the Table of the House.

श्री भागवत झा आजाद : मैं पूरी रख दूंगा।

दिल्ली में नव वर्ष की पूर्व सन्ध्या घटनायें

*876. **श्री विभूति मिश्र** : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 31 दिसम्बर, 1968 की रात को इस बात के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है कि पिछले वर्ष नव वर्ष की पूर्व सन्ध्या को दिल्ली में गुंडागर्दी की जो घटनाएं हुई थीं उनकी पुनरावृत्ति न होने पावे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : यह सुनिश्चित करने के लिये कि नव वर्ष की पूर्व संध्या के समारोहों के दौरान गुण्डागर्दी की कोई घटना न हो, दिल्ली पुलिस अपेक्षित गश्त और अन्य आवश्यक उपायों के लिए उपयुक्त कार्यवाही कर रही है।

शराब की अनधिकृत बिक्री या सर्विस को रोकने के लिए दुकानों पर कड़ी निगरानी रखने का प्रस्ताव है। 31 दिसम्बर, 1968 तथा पहली जनवरी, 1969 दोनों 'सूखे दिन' (ड्राइ डे) अधिसूचित किये गये हैं।

यातायात के सुचारु आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित संख्या में पुलिस के सिपाही ड्यूटी पर तैनात किये जायेंगे।

अपेक्षित संख्या में गश्ती गाड़ियां भी काम में लगाई जाएंगी और विभिन्न क्षेत्रों में गश्त कड़ी कर दी जाएगी। महिला पुलिस भी ड्यूटी पर तैनात की जा रही है।

MR. SPEAKER : Very good steps have been taken. Why do you ask a supplementary now ?

श्री विभूति मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि इन दोनों दिनों को जो 'सूखा दिन' घोषित किया गया है इस के अन्तर्गत जो विदेशी लोग यहां पर रहते हैं और वे होटलों में जाते हैं, ऐसी हर जगह के लिए 'सूखा दिन' घोषित किया गया है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : 'सूखा दिन' घोषित

करने के जो नियम हैं, उनकी इस समय तो मेरी विस्तृत जानकारी नहीं है क्योंकि वे यहां से नहीं होते हैं लेकिन जहांतक मेरी जानकारी है, उस दिन सार्वजनिक रूप से शराब की बिक्री और शराब का पीना बन्द रहता है। यदि कोई व्यक्ति अपने घर में शराब रखकर उस दिन पीता है तो जहांतक मैं समझता हूँ उसके ऊपर कोई मनाही नहीं है। लेकिन सार्वजनिक रूप से उस दिन शराब का बेचना या शराब का पीना मना होता है।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूँ कि पिछले साल जो गुन्डागर्दी हुई उन जगहों पर सरकार सुनिश्चित रूप से कोई सार्वजनिक सभा या किसी और पद्धति से कोई और आयोजन करने का विचार रखती है ताकि फिर वह गुन्डागर्दी न हो ? क्या इस प्रकार की कोई योजना सरकार ने बनाई है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : जो योजना हमने बनाई है उसकी रूपरेखा मैं ने बता दी है।

MR. SPEAKER : Q. 877. MR. Kanwar Lal Gupta . . .

SHRI GEORGE FERNANDES : Q. 893 please.

SHRI S. M. BANERJEE : Q. 893 is a very important Question.

MR SPEAKER : I am going according to the order. I am not skipping over any Question.

SHRI S. M. BANERJEE : Let us acquire the Birla House today. Tody is the last day.

MR. SPEAKER : Q. 877.

देश के कुछ भागों में जाने अथवा वहां भूमि खरीदने पर भारतीयों पर प्रतिबन्ध

877. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के किन-किन भागों तथा क्षेत्रों में भारतीय नागरिक नहीं जा सकते अथवा वहां भूमि आदि नहीं खरीद सकते;

(ख) ये प्रतिबन्ध कब से लागू हैं, ये प्रतिबन्ध किन नियमों के अन्तर्गत लगाये गये हैं तथा उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन प्रतिबन्धों को हटाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN) : (a) to (c). A Statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-2810/68]

श्री कंवर लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है उस से यह प्रतीत होता है कि लगभग 10 प्रांतों में या यूनियन टैरिटरीज में किसी न किसी तरीके की पाबन्दियां हैं। उस का एक कारण तो यह बतलाया गया है कि जो ट्राइबल्स हैं या पिछड़े हुए लोग हैं उन के इन्टरैस्ट को प्रोटैक्ट करने के लिए यह पाबन्दियां लगाई गई हैं और दूसरे सिक्योरिटी प्वाएंट औफ व्यू से भी वह पाबन्दियां लगाई गई हैं। दरअसल हुआ यह है कि यह सब इलाके एक म्युजियम बन गये है और भारत के साथ उन का सम्बन्ध न रह कर के दुर्भाग्य से उन लोगों के साथ पाकिस्तानियों या चीनियों ने सम्बन्ध बना लिया हैं और वह देश को एक जबरदस्त थ्रैट हो गये हैं। यह तो मैं मानता हूँ कि उन के लैंड के राइट्स को प्रोटैक्ट करना चाहिए और जहां तक मुल्क के डिफैंस और सिक्योरिटी का सवाल है उस को भी ध्यान में रखना होगा और उन को ध्यान में रखते हुए और 20 साल का जो अनुभव है उस को भी ध्यान में रखते हुए क्या जो उन के मूवमैंट्स पर रैस्ट्रिक्शंस है उन को दुबारा रैव्यु करेंगे और जहां जहां भी उन को लिबरैलाइज करने की जरूरत महसूस की जायगी ताकि आदान-प्रदान हो सके तो उस के लिए क्या वह कुछ कोशिश करेंगे ?